(14)

(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **महेश चन्द्र चौधरी**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-675-दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-12-2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 899/अपील/2009-10

सत्यनारायण तनय रामफल पटेल
निवासी –ग्राम बहेरा, तहसील – सियावल, जिला सीधी म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. रमोले तनय हरिवंश पटेल
2. जग्यसेन तनय हरिवंश पटेल
3. रामसजीवन तनय हरिवंश पटेल

निवासीगण- ग्राम बहेरा, तहसील – सियावल, जिला सीधी म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री आर.डी.शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29.6.19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 26-12-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम बहेरा स्थित भूमि खसरा नं. 536 रकबा 0.10 हे., 537 रकबा 0.08हे., कुल किता 02 का हिस्सा 1/8 भाग तथा खाता क्रमांक 82 कुल किता 30 रकबा 3.95 हे. का हिस्सा ½ भाग के वारिसाना नामांतरण हेतु तहसीलदार सिहावल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 17-10-2008 द्वारा नामांतरण स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की गई । जो उनके आदेश दिनांक 25-06-2010 द्वारा खारिज की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर

रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । जो उनके आदेश दिनांक 26-12-2012 द्वारा स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क समर्थन में कहा गया है कि अपील प्रकरण की आदेश पत्रिका 23-12-2011 को देखने से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा उक्त फर्जी तामील को मान्य नहीं किया गया था और पुन: नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया गया था उसके बाद प्रश्नीय आदेश पारित हो जाने के दिनांक तक आवेदक को दोबारा कोई सम्मन नोटिस जारी नहीं किया गया और आवेदक की सूचना सुनवाई के बिना प्रश्नीय आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा फर्जी सम्मन तामील, फर्जी वकालतनामा आदि का सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी तरह से षडयन्त्र पूर्वक आवेदक का हित स्वत्व नष्ट करने एवं आवेदक की भूमियों का हड़पने के लिये आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी पूर्वक कार्य करते हुए यह सब किया गया है जो गम्भीर अपराध हैऔर न्यायलयीन कार्यवाही में इस तरह की जालसाजी व खिलवाड़ निन्दनीय एवं आपत्तिजनक है जिसका संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय को धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच करके अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 420, 467, 471 का आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए सक्षम न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना न्यायोचित होगा । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मृतिका फूलकुमारी के बजाय जब एक बार आवेदक के नाम नामांतरण हो चुका है और वह प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील में स्थिर रखा गया है और वर्तमान में आवेदक विवादित भूमियों का भूमिस्वामी अभिलिखित हो चुका है तो अब उसके पूर्व के वादकारण यानि मृतिका फूलकुमारी के वसीयतनामे के आधार पर फिर से नामांतरण प्रकरण संचालित करने का कोई कारण औचित्य ही नहीं है । और इस तरह भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का पैरा 6 एवं 7 विधिक प्रावधानों सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये है कि फूलकुमारी की मृत्यु के उपरांत अनावेदकगण का वैध वारिसाना निर्मित होता है । महादेव पटेल की मृत्यु के उपरांत वारिसाना नामांतरण अनावेदकगण की माता फूलकुमारी के नाम हो गया था । उस समय आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी । जिस कारण फूलकुमारी की वसीयत दिनांक 13-09-2008 को हो जाने के बाद व मृत्यु दिनांक 17-09-2008 को हो जाने से आवेदक द्वारा गैरकानूनी तरीके से नामातंरण करा लिया गया है । जिसमें अनावेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था । ऐसी स्थिति में की गई कार्यवाही पूर्णत: अवैधानिक है । उक्त आधार पर उनके द्वारा अपर आयुक्त् रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश को उचित मानते हुए यह निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा सजरा पेश किया गया एवं हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया । उक्त आधार पर उनके द्वारा विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया गया। जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में की है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मृतका फूल कुमारी द्वारा पति की मृत्यु के उपरांत

हरिवंश पटेल से विवाह किया गया था । चूंकि फूलकुमारी को वादग्रस्त भूमियों का स्वामित्व मृतक महादेव के आधार पर प्राप्त हुआ था । अत: उक्त भूमियों का वारिसाना नामातंरण प्रथम दृष्टया अनावेदकगण के पक्ष में किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । उक्त् आधार पर अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में गम्भीर भूल की गई है । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मृतक ने दिनांक 13-09-2008 को इच्छापत्र पेश किया । चूंकि उक्त् वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है एवं न ही वसीयत के साक्षियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश उचित, वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त् रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-12-2012 निरस्त किया जाता है ।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर